दैनिक भास्कर
आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार
नागपुर | गुरुवार 9 नवंबर, 2017

09.11.2017

'सेवा देने तैयार थे डॉक्टर नहीं मिली समय से नियुक्ति'

डीएमईआर के कड़े रुख से चिकित्सकों में नाराजगी

ब्यूरो | मुंबई

राज्य के मेडिकल शिक्षा व शोध निदेशालय (डीएमईआर) द्वारा चिकित्सकों के खिलाफ अनिवार्य सेवा अनुबंध (बॉन्ड) के मामले में शुरू कार्रवाई को लेकर चिकित्सकों से जुड़े संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए चिकित्सक नहीं बल्कि डीएमईआर जिम्मेदार है। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य सेवा अनुबंध के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं न देने के मामले में 'बिइंग डॉक्टर्स' नामक स्वयसेवी संगठन ने चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरने के मामले में अपना पक्ष रखा है। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि, वास्तव में डीएमईआर ने चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग देने में लापरवाही बरती है। चिकित्सकों का कहना है कि, उन्होंने स्वेच्छा से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वे सेवा देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्टिंग के संबंध में डीएमईआर की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। चिकित्सकों ने उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई किए जाने का विरोध करते हुए डीएमईआर से फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की है।

खराब हुई चिकित्सकों की छवि

'बिइंग डॉक्टर्स' की सचिव डॉ. निलीमा वैद्य भामरे का कहना है कि, एक अच्छी योजना को सरकार अच्छी तरह लागू नहीं कर सकी। संसाधनों की कमी और चिकित्सकों की योग्यता के अनुसार उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकी, इन वजहों से यह योजना सफल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने चिकित्सकों की एक बहुत ही नकारात्मक छवि पेश की है।

▶ सरकार के शासनादेश (जीआर) अनुसार संबंधित अधिकारियों को मेडिकल परीक्षा परीणाम आने के बाद निश्चित अवधि के भीतर चिकित्सकों को अनुबंध के तहत पोस्टिंग दी जानी चाहिए थी। कुछ लोगों को छोड़कर, अधिकांश चिकित्सकों को उनकी पोस्टिंग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। पर अब डीएमईआर का फैसला उनके लिए एक सदमे जैसा है। गलती न होने पर भी उन्हें सजा दी जा रही है।

-डॉ. दीपक चतुर्वेदी, अध्यक्ष, बिइंग डॉक्टर्स